भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2739
17.03.2025 को उत्तर के लिए

केदारनाथ यात्रा का पर्यावरण पर प्रभाव

2739. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावतः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को वार्षिक तीर्थ यात्रा के कारण केदारनाथ क्षेत्र में पर्यावरणीय अवक्रमण, निर्वनीकरण, जैव-विविधता की हानि और कूड़े में वृद्धि की समस्याओं की जानकारी है;
(ख) यदि हां, तो पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को कम करने और क्षेत्र की पारिस्थितिकीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं;
(ग) क्या इस क्षेत्र की वहन क्षमता के अनुसार तीर्थ यात्रियों की संख्या को विनियमित करने की कोई योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या इस संबंध में पर्यावरण संगठनों के विशेषज्ञों के साथ कोई सहयोग किया गया है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ): उत्तराखंड सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर केदारनाथ, हेमकुंड साहिब, यमुनोत्री और गोमुख तीर्थस्थलों के तीर्थ पथों पर पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर कई कदम उठाए हैं। पर्यटकों, घोड़ों, वाहनों, कानून और व्यवस्था, स्वच्छता, स्वास्थ्य और अन्य सामान्य प्रशासन के पंजीकरण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) विकसित की गई है। राज्य सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ वाहनों की संख्या सीमित करने, विशेषकर चरम मौसम के दौरान पर्यटकों की संख्या सीमित करने, वहन क्षमता अध्ययन के आधार पर खच्चरों और घोड़ों की संख्या सीमित करने, अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अवसंरचना संबंधी योजना बनाने, उन क्षेत्रों का सीमांकन करने, जहां पर्यावरण के साथ असंगत कार्यकलाप को प्रतिबंधित/विनियमित किया जाता है, प्लास्टिक में पैक किए गए खाद्य और उत्पादों के उपयोग को हतोत्साहित करने, विनिर्दिष्ट स्थानों पर अपशिष्ट के निपटान प्रोत्साहित करने, निगरानी तंत्र स्थापित करने जैसे उपाय किए हैं।

स्थानीय प्राधिकारियों और ग्राम पंचायतों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुसार ठोस अपशिष्ट और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन करने का अधिदेश दिया गया है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इन नियमों के प्रावधानों को लागू करने का अधिदेश प्राप्त है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के तहत, राज्य स्तरीय समितियां भी इन नियमों के कार्यान्वयन की निगरानी करती हैं। इस योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत अतिरिक्त केंद्रीय सहायता भी प्रदान की जाती है। विशेषज्ञों के परामर्श से ठोस अपशिष्ट और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए विभिन्न मैनुअल, परमर्शिका और दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

*****